न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/10/2025	2025/117	26.03.2025	23.04.2025

1. शीला मीना पत्नी सुरेश चंद जाति मीना निवासी कॉलोनी ग्राम सैमला, हसनपुर क्षेत्र तहसील व जिला अलवर राज0।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. अमीचंद मीना पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी कॉलोनी, ग्राम मांदरी थानागाजी तहसील थानागाजी, जिला अलवर राज0।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 292 निर्णय दिनांक 05.02.2025 तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः–

01–श्री मूलचन्द चौधरी –वकील अपी0

02–श्री राजबहादुर जांगिड़ –वकील रेस्पो0

–:निर्णयः–

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध तहसीलदार रामगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 05.02.2025 नामान्तकरण संख्या 292 स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 जरिये अभिभाषक उपस्थित।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इंतकाल 05.02.25 का है और जैसे ही 03.03.25 को अपीलान्ट को गलत इंतकाल तस्दीक होने का पता चला अपीलान्ट ने दुरस्त कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलान्ट ने 20.03.25 को जनसुनवाई में इंतकाल दुरस्त कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया। कलक्टर साहब ने तहसीलदार रामगढ को लिखा। उसके बाद उपखण्ड अधिकारी ने कहा की अपील द्वारा ही दुरुस्त हो सकता है इसलिए अपील करने में जो देरी हुई है वह देरी को दिनाक 05.02.25 से 25.03.25 तक समय माफ़ किया जाने योग्य है। अपीलान्ट का ख. न. 297/42 कुल रकबा 4.31 हेक्टेयर का 1/2 हिस्से खातेदार का काश्तकार है, जिसमें से अपीलान्ट द्वारा दिनाक 05.02.25 को रेस्पोंडेंट को 0.50 हेक्टेयर का बेचान किया गया था और कब्ज़ा भी 0.50 हेक्टेयर पर दिया था लेकिन इंतकाल चढ़ते समय खा. सं. 293 का बयनामा का अवलोकन नहीं किया गया, बल्कि 0.50 हेक्टेयर की जगह 1.0 हेक्टेयर का इंतकाल दर्ज हो गया जो विरुद्ध मौका व कानून तस्दीक किया जो काबिल गौर श्रीमान है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फ़रमाई जा कर तहसीलदार (भू/निरक्षक) रामगढ द्वारा सिस्टम से किया इंतकाल स. 293 निरस्त कर 0.50 हेक्टेयर तक दुरुस्त फ़रमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पत्रावली में उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त नामान्तकरण गलत तौर पर स्वीकृत किया गया है जिस कारण अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपसी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है तथा मुताबिक राजीनामा अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करने में रेस्पो0 को कोई एतराज किसी प्रकार का नहीं है। अतः निवेदन किया कि उक्त राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने की कृपा करें।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2025 के विरूद्व दिनांक 26.03.2025 को पेश की गयी है जो करीब 01 माह 21 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ द्वारा दर्ज व स्वीकार नामान्तकरण संख्या 292 दिनांक 05.02.2025 एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 05.02.2025 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के रेस्पोडेण्ट को आराजी खसरा नंबर 297/42 कुल रकबा 4.31 है0 में से 0.50 हेक्टेयर भूमि का बेचान किया गया था और कब्जा भी 0.50 है0 भूमि पर दिया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल तस्दीक व स्वीकार करते समय बयनामा का सही अवलोकन नहीं किया गया जिससे 0.50 है0 की जगह 1.0 है0 का इंतकाल रेस्पो0 के नाम दर्ज व स्वीकार कर दिया गया, जो कि एक विधिक त्रुटि है। पत्रावली में संलग्न अपीलाण्ट व रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र अनुसार अपी0 व रेस्पो0 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा रेस्पो0 द्वारा अपील अपी0 स्वीकार किये जाने के संबंध में अनापत्ति जाहिर की है। अतः अपील अपी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का आदेश इन्तकाल सं0 292 दिनांक 05.02.2025 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 297/42 कुल रकबा 4.31 है0 में से पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 05.02.2025 के अनुसार 0.50 है0 भूमि का रेस्पो0 अमीचंद मीना पुत्र लक्ष्मीनारायण मीना के हक में नियमानुसार इन्द्राज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)